राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2813/2025

शफीक अहमद **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.05.2025
आदेश की दिनांक : 30.06.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बहीर, टोंक में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 04.05.2025 के द्वारा अपीलार्थी के पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान परिवर्तित कर आदेश दिनांक 08.05.2025 के द्वारा उसे कार्यमुक्त कर दिया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति एलडीसी के पद पर वर्ष 1987 में हुई थी और आदेश दिनांक 14.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति पर उसे आदेश दिनांक 02.05.2025 के द्वारा उसे राजकीय उच्च माध्यमिक

विद्यालय, सोनवा, जिला टोंक पदस्थापित किया गया और मात्र 2 दिवस की अल्पावधि में ही पदस्थापन स्थान परिवर्तित कर उसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंधीर लोक जहाजपुर, जिला भीलवाडा पदस्थापित किया गया। उनका तर्क है कि अन्य पदोन्नत कार्मिकों को जिले से बाहर पदस्थापन नहीं किया गया है। जबकि अपीलार्थी को जिला भीलवाडा पदस्थापित किया गया है, जो उचित नहीं है। जबकि टोंक जिले में कई पद रिक्त हैं। इस प्रकार आलोच्य आदेश के द्वारा किया गया पदस्थापन विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 04.05.2025 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 08.05.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान पर कार्यरत रखे जाने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत उपरांत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंधीर जहाजपुर, भीलवाडा पदस्थापित किया गया है और प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर अपीलार्थी को पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी को रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया गया है। पदस्थापित विद्यालय में लम्बे समय से पद रिक्त था, जिससे विद्यालय के प्रशासनिक कार्य प्रभावित होने के कारण अपीलार्थी को पदस्थापित किया गया है, जो नियमानुरूप है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बहीर, टोंक में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 04.05.2025 के द्वारा अपीलार्थी के पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान परिवर्तित कर आदेश दिनांक 08.05.2025 के द्वारा उसे कार्यमुक्त कर दिया गया है। जहां तक अपीलार्थी को 2 दिवस की अल्पावधि में ही पदस्थापन स्थान परिवर्तित कर जिला भीलवाडा पदस्थापित किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश दिनांक 04.05.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बहीर, टोंक से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंधीर ब्लॉक जहाजपुर, जिला भीलवाडा

पदस्थापित किया गया है। हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि 2 दिवस की अल्पावधि में ही अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान परिवर्तित किया गया है, चूंकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदस्थापन स्थान संशोधित किया गया है न कि अपीलार्थी द्वारा कार्यग्रहण पश्चात् पुनः अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का पदस्थापन सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति उपरांत किया गया है, जो स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं आता है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें प्रशासनिक दृष्टि से/राज्य हित में कहां पर ली जानी हैं। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अपीलार्थी के तर्कों में कोई बल न होने के कारण अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य